1421261/2025/CS-II

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261498
CG-DL-E-07032025-261498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/ फाल्गुन 16, 1946
No. 126]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/ PHALGUNA 16, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 160(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1991 को जहां तक उनका संबंध मुख्य कलाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में ज्येष्ठ कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (ज्येष्ठ कलाकार) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती प्रक्रिया, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि – उक्त पद पर भर्ती प्रक्रिया, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. – वह व्यक्ति,-

File No. 01/01/2020-CSZ(e) (Computer No. 136463)
Generated from eOffice by MONIKA SHARMA, OA(MS)-CS-II, OFFICE ASSISTANT, MOEFCC on 21/03/2025 10:11 am

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोद से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ कलाकार।	5 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित अननुसचिवीय, समूह 'ख'।	स्तर-7 (44900-142400/रु.-)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

(35400-112400 रुपये) में ऐसे कलाकार श्रेणी I, जिन्होंने नियुक्ति नियुक्ति आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो तथा जिन्होंने नियमित आधार पर ललित या वाणिज्यिक कला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब, जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रमुख, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता, सदस्य,	आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 01/01/2020-सीएसजेड(ई)]

नमीता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2025

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1991, in so far as they relate to the post of Chief Artist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Artist in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India(Senior Artist), Recruitment Rules, 2025.

File No. 01/01/2020-CSZ(e) (Computer No. 136463)
Generated from eOffice by MONIKA SHARMA, OA(MS)-CS-II, OFFICE ASSISTANT, MOEFCC on 21/03/2025 10:11 am

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Artist.	5 (2025)* * Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service**, Non Ministerial, Non-Gazetted, Group'B'.	Level-7 (Rs.44900-142400/-).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

File No. 01/01/2020-CSZ(e) (Computer No. 136463)
Generated from eOffice by MONIKA SHARMA, OA(MS)-CS-II, OFFICE ASSISTANT, MOEFCC on 21/03/2025 10:11 am

		be filled by various methods.			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Artist Grade I in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed two weeks training in Fine or Commercial Art. **Note**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata- Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata- Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata- Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.01/01/2020-CSZ(e)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.07 16:42:46 +05'30'

File No. 01/01/2020-CSZ(e) (Computer No. 136463)
Generated from eOffice by MONIKA SHARMA, OA(MS)-CS-II, OFFICE ASSISTANT, MOEFCC on 21/03/2025 10:11 am